4. **संस्था के उद्देश्य व लक्ष्य** : जिन उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना की गई है वे निम्न प्रकार हैः–

1 मानव कल्याणार्थ समाज में जागृति लाने के प्रयास करना।

2 समस्त मानव जाति के नैतिक, बौद्विक, मानसिक, शैक्षिक शारीरिक, चारित्रिक, आघ्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास हेतू कार्यक्रम संचालित करना।

3 समाज में जाति विहीन, धर्म विहीन, वर्ग विहीन, ऊंच–नीच रहित समरसत्ता का वातावरण सृजित कराने के प्रयत्न करना।

4 समाज को मानव अधिकारों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना एवं भारतीय संविधान में वर्णित मानवाधिकारों का ज्ञान कराना।

5 भारत सरकार द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जन–जन तक प्रचार प्रसार करना ताकि आम आदमी उसका लाभ प्राप्त कर सकें।

6 मानवाधिकार एवं मानव कल्याण साहित्य का लेखन, मुद्रण एवं प्रचार प्रसार करना/तत्सम्बंधी पुस्तकालयो/वाचनालयों की स्थापना कराने के प्रयास करना।

7 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं विदेशों में गठित मानवाधिकार आयोगों के सम्पर्क में रह कर उनकी सेवायें आम आदमी को मुहैया कराने के प्रयत्न कराना।

8 देश भर में संस्था के कार्यालय स्थापित करके मानव कल्याण, मानव शांति, मानव सद्भावना, मानव एकता एवं मानवाधिकारो की रक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य करना तथा समाज में व्यापत भ्रष्टाचार उन्मूलन में शासन/प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।

9 देश व विश्व की बढती जनसंख्या नियंत्रण में जन जागरण के माध्यम से प्रभावी कदम उठाकर लोगों को परिवार नियोजन सम्बन्धी मार्गदर्शन कराने के प्रयास करना।

10 समाज के विभिन्न वर्गो के उत्पीडन के निराकरण हेतु शासन/प्रशासन/राट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग/ मानवाधिकार न्यायालयों एवं अन्य स्तरों पर उन्हे समुचित न्याय दिलाने सम्बधितं प्रयास करना।

11 समाज में भाईचारा, सौहार्दता, सद्भावना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के प्रयास करना। समय–समय पर विचार गोष्ठियों, सम्मेलन, सांस्कृतिक तथा मीडिया कार्यक्रम आयोजित कराकर उक्त उद्देष्यों की पूर्ति में सहायक होना।

12 समाज में व्याप्त कुरूतियों को समाप्त कराने में शासन/प्रशासन को सहयोग देना। मानवाधिकारो के हनन करने वाली ताकतों के विरूद्व सत्त विरोध करना।

13 मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओ, जीवन, रोटी, कपड़ा, मकान, आश्रय, आजीविका स्वास्थ्य सेवाओं गरिमा समता एवं समानता की अवधारणा स्थापित करके समस्या के निराकरण सम्बन्धी सम्भव प्रयास करना।

14 गरीब व पिछड़े लोगो के आर्थिक उत्थान के लिए 'सैल्फ हैल्प ग्रुप' चलाना और उज्वल भविष्य के लिए उन्हें बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।

15 मानसिक व शारीरिक विकलांग लोगो को 'विकलांगता प्रमाण पत्र' दिलाने में मदद करना व सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न आरक्षण व अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने में उनका मार्गनिर्देशन करना। अंधो, गूंगे व बहरो, मानसिक व शारीरिक विकलांगों और वृद्धो के लिए पुनर्वास योजना चलाना।

16 महिलाओ के प्रति समाज के उपेक्षित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए एक ऐसे 'महिला सहायता केन्द्र' की स्थापना करना जो पीड़ित/शोशित/परेशान महिलाओं की हर सम्भव सहायता करने के लिए सक्षम हो तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह दे सके और अदालत में वाद प्रस्तुत करने में उनकी मदद कर सके, इसके साथ–साथ बेघर व बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

17 केन्द्रीय व राज्य सरकार, निगम बोर्ड, संबंधित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वस्तुकला, दस्तकारी, दरी कालीन, ड्राईंग पेंटिंग, कला प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं फैशन डिजाइनिंग एवं ब्यूटिशियन आदि का प्रशिक्षण देकर दिलाकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

18 महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागीण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोशण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकारण कार्यक्रमों आदि को चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की जानकारी देना एवं समय समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना व रोजगारपरक प्रशिक्षण देना।

19 अच्छे आचरण, हेतु समय–समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण देना ताकि लोग आचरण एवं अधिकारी के बीच तारतम्य स्थापित कर सकें।

20 समाज के असहाय, बेसहारा, निराश्रित महिलाओं, बच्चों एवं वृद्वों हेतू आश्रम/शिविर स्थापित करके उनमें आत्मनिर्भरता एवं जीवन इच्छा संचार के प्रयास करना।

21 शासन द्वारा निर्धारित व पोषित कार्यक्रमों के अन्तर्गत मानव जागृति एंव उत्थान हेतू शिक्षण संस्थाओं, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, मुक्त विद्यालयो एवं दूरवर्ती शिक्षण संस्थाओं, मानवाधिकार एकेडमी/पाठ्क्रमों की स्थापना एवं संचालन करना।

22 उत्पीडित नागरिकों की उत्पीडन सूचना रिपोर्ट (टी. आई. आर) लिखना एवम् सम्बन्धि अधिकारियों के पास सुचनार्थ, आदेशानार्थ एवम् कार्यवाही हेतू प्रेषित करना।

23 ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्को/ महिलाओं के समग्र विकास हेतू शासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के सफल क्रियान्वयन/संचालन हेतू कार्य करना।

24 अन्य सभी मानव कल्याण सम्बन्धी कार्य करना जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य है।

25 समाज में बन्धुत्व, सहयोग, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढाना। सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करना व उनको सुचारू रूप से चलाना।

26 समाज में उत्तम शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना। प्राइमरी, प्री–प्राइमरी, सैकेंडरी, सीनीयर सैकेंडरी व उच्चशिक्षा हेतु विभिन्न स्कूल, विद्यालय व अन्य शिक्षा संस्थान खोलना व शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन करना।

27 संस्था द्वारा संचालित स्कूलो में शिक्षार्थियो के लिए उतम शिक्षा के साथ–साथ उनके बहुमुखी विकास हेतु योग्य शिक्षक, सुरक्षित यातायात, व्यवस्थित अनुशासन, स्वच्छ वातावरण, वृहद खेल–कूद के मैदान, विस्तृत वाचनालय और अन्य ज्ञानवर्धक व मनोरंजन के साधन कायम करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहना तथा निरंतर निखार लाने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना तथा दान व चंदा आदि प्राप्त करना।

28 सम्बंधित विभाग (विभागो) से अनुमति प्राप्त कर इन्जीनियरिंग कॉलेज, मैडिकल कॉलेज, आई.टी.आई., पोलीटेकनीक तथा अन्य तकनीकी व गैर तकनीकी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था स्थापित करना।

29 शिक्षा के विभिन्न विषयों पर अनुसंधान हेतु अनुसंधान केन्द्रो की स्थापना करना और हर सम्भव सहायता प्रदान करना।

30 साहित्य, कला और भारतीय संस्कृति के उत्थान हेतु निबंध, वाद विवाद, कला व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का समय–समय पर आयोजन करना।

31 शिक्षा के क्षेत्र में विशेष आयाम स्थापित करने वाले मेधावी छात्रो तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षको का सार्वजनिक सम्मान करना और उन्है प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान करना।

32 तकनीकी, गैर–तकनीकी, औद्योगिक, वोकेश्नल, चिकित्सा व एग्रीकल्चर से सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना।

33 आम जनता के उपयोग के लिए कॅम्युनिटी हॉल, बारात घर, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, हैल्थ केयर सैंटर, संगीतालय, नृत्यालय, अनाथालय, शौचालय, बालवाडी, आंगनवाडी, प्याउ, वाचनालय, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, होसपिटल, स्टेडियम, स्टूडियो और रात्रि–निवास आदि का निर्माण करना तथा विभिन्न सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाना व इनका संचालन करना।

34 प्राकृतिक आपदा जैसे–बाढ, आग, सूखा, भूकम्प या तूफान आदि के समय पीडितों को चिकित्सा, भोजन, आवास, यातायात व अन्य सामग्री मुहैया कराना और हर सम्भव सहायता प्रदान करना।

35 स्वच्छ पर्यावरण की उपयोगिता के बारे में आम जनता को जागरूक करना और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू करना व इनका संचालन करना।

36 समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तके व सॉविनियर प्रकाशित करना व इनके वितरण की व्यवस्था करना। समय–समय पर सभा, सेमिनार और प्रैस कॉन्फ्रेस का आयोजन करना।

37 संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए सरकार से मुफ्त या/और रियायती दरों पर भूमि का आवंटन कराना व आवश्यक निर्माण कार्य कराना।

38 समिति द्वारा बच्चों को शैक्षणिक, भरण पोषण तथा उन्हे योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और निःशुल्क स्वाथ्य केन्द्रो, आश्रम स्थल व शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना।

39 समिति का उद्देश्य का प्रचार प्रसार करना व छात्र छात्राओं के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी स्तर से प्राईमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार महाविद्यालय 'डिग्री कॉलेज' तक के विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, रचनात्मक उन्नति, चारित्रिक विकास कर उन्हे योग्य बनाना।

40 समिति द्वारा नागरिको में सामाजिक जन चेतना जागृत करा एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना।

41 पेयजल समस्या को दूर करने एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जगह जगह हैंडपम्प लगवाना, पानी की टंकी का निर्माण कराना एवं उसकी सप्लाई पाइप की व्यवस्था एंव खारे पानी व फलोराइडयुक्त पानी की समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में वाटर फिल्टर पम्पों की व्यवस्था करना।

42 समिति ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मौन पालन को बढ़ावा देना तथा फलोरीकला एवं अन्य उन्नति कृषको को बढ़ावा देना तथा मशरूम की खेती करना, देशी खाद, कम्पोज खाद, बीज एवं कीटनाशक औषधियों का निर्माण करना तथा कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए कृषि नीति तैयार करना व कृषि उन्नति को बढ़ावा देना, किसानों में भाई चारे की भावना पैदा करना एवं समस्याओं को सुलझाना व शासन व प्रशासन तक पहुंचाना।

43 शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित डिग्री कालेजों की स्थापना कर उनका विधिवत संचालन करना।

44 संस्था हर गांव कस्बों, शहरों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। संस्था के माध्यम से सामाजिक सौहार्द, प्रेम, भाईचारे की भावना हेतु बच्चो के विकास व उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना व कराना।

45 संस्था धर्मार्थ चिकित्सालय बनवाने के लिए सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त कर लोगों के कल्याण के लिए चलाने का पूरा प्रयास करेगी।

46 संस्था गरीब लोगों विधवाओं, असहाय लोगों के लड़के/लड़कियों की दहेज रहित सामूहिक शादी कराने में सहयोग करने का प्रयास करेगी।

47 संस्था द्वारा शिक्षा सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम के लिए प्रदर्शनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस व अन्य कार्यक्रमो का आयोजन कराना। संस्था धार्मिक कार्य हेतु

राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व पुलिस विभाग से सहायत हेतु हर सम्भव कोशिश करेगी।

48 संस्था द्वारा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराईयों का प्रचलन समाप्त करने तथा गरीब लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालो के खिलाफ जागृति पैदा करेगी।

49 संस्था नेत्रहीन एवं विकलांगों के कल्याण के लिए विषेष सहयोग कराना तथा आकस्मिक दुर्धटनाग्रस्त आपातकालीन स्थिति में लोगों की यथा सम्भव सहायता करेगी।

50 संस्था सक्रिय सदस्यों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी/गैर सरकारी संगठनो द्वारा उनकी सुरक्षा व्यवस्था एवं रक्षा करने का प्रयास करेगी।

51 संस्था द्वारा समाज को अंधविश्वास से छुटकारा दिलाना तथा जागरूकता पैदा करने का प्रयत्न करेगी।

52 संस्था के कार्यक्षेत्र वृक्षारोपण, प्रदूषण, नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण केन्द्रो, नशाबंदी कार्यक्रम आदि का संचालन करना।

53 राष्ट्रीय ग्रमीण क्षेत्रों में शाखाऐं खोलकर आम लोगों की मदद करना।

54 निर्धन एवं अनाथ लोगो व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संबन्धित विभागो मंत्रालयो संस्था जैसे स्वाथ्य परिवार कल्याण मंत्रालय/विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला कोश, महिला कल्याण निगम, वस्तुशिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय श्रम मंत्रालय, समाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी परिषद, उधोग निदेशालय, लधु उधोग निदेशालय, अल्पसंख्यक आयेाग/बोर्ड समाज कल्याण विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग/मंत्रालय, प्रधानमंत्री योजना, कपार्ट, काई, सिप्सा, नवार्ड, अवार्ड, नौराड़, डूडा, सूडा, पूष्टाहार, राजीव गांधी फाउण्डेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बस्ती विकास केन्द्र, जन सुविधा परिसर, खादी ग्राम उधोग, मनरेगा, एस.सी./एस.टी. कल्याण विभाग/बोर्ड आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ व कार्यक्राम को चलाकर नागरिको को सर्वागिण विकास करना।

55 पत्रकारों को केन्द्र सरकार राज्य सरकार से मिलने वाली विभिन्न आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं व अन्य सूविधाओं को प्राप्त करने में उनका मार्ग निर्देशन करना और पत्रकारों को सर्वगीण विकास करना करने का काम करेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ट पत्रकारों को सार्वजनिक सम्मान करना और उन्हे प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान करना।

56 संस्था द्वारा बच्चो को शैक्षणिक, भरण पोषण तथा उन्हे योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रो आश्रम स्थल व शिक्षा संस्थानो की स्थापना करना।

57 संस्था द्वारा के विकास हेतु मार्गों, खडंजा एवं गलियां, नालियां व सुधारीकरण एवं विकास करने का प्रयास करना। संस्था द्वारा निवासियो की हर समस्याओ का समाधान करना बिजली पानी सिवर इत्यादि सुविधाओ को उपलब्ध करने हेतु राज्य सरकार अथवा इसे सम्बधित विभाग से उचित कार्यावाही करना और सुविधा प्रदान करवाना हैं ।

58 समाज में अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा समाज के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करना, व समाज में बढते अपराध को रोकना तथा समाज व राष्ट्र के साथ जोडना।

59 महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्य करना तथा गरीब परिवार की कन्याओं की शादियां करवाना और उनकी आर्थिक सहायता करना।

60 समाज में बढते भ्रष्टाचार एव उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं भ्रष्टाचार निवारण में सहायता करना ।

61 नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना तथा समाज के नशा मुक्त बनाने का प्रयास करना, समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति अपनाकर समाज को आत्मनिर्भय बनाने का प्रयास करना ।

62 संस्था के नाम में सम्पत्ति खरीदना, संस्था की सम्पत्ति की सूझबूझ के साथ देख रेख करना, आवश्यक निर्माण कराना, बेचना, गिरवी रखना व इस सम्बंध में कानून का सम्मान करते हुए आवश्यकता हो तो सम्बन्धित सरकारी विभागो से बाकायदा इजाजत लेना।

63 संस्था के मुख्य कार्यक्रम स्वास्थ्य ग्राम विकास, लघु उद्योग विकास महिला विकास आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करके कालोनी की जनता खास कर कमजोर वर्ग के लोगों, अनूसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां, अल्प संख्यकों का सांस्कृतिक, शैक्षिक भौतिक उत्थान करना एवं इस योग्य बनाया जाना है जिससे वे अन्य नागरिकों की भॉति अपना योगदान भारत निर्माण में उचित रूप से दे सकें ।

64 सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ग्रामोद्योगिक, शैक्षिक तथा मानवीय सम्पन्नता हेतु प्रचार–प्रसार करना।

65 साहित्यिक, मनोरंजक, आवास, छात्रावास, निर्धन, अनु. जाति/ज. जाति, विकलांग, विधवादि को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रोजगार परक अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर संचालित करने का प्रयास करना।

66 खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग संचालित करके उसके उत्पादन विक्रय की धमार्थ करने का प्रयास करना।

67 पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि वर्तमान ज्वलंत समस्याओं के निवारण हेतु व्यक्तिगत अथवा सरकारी/ अर्धसरकारी संस्थाओं के सहयोग से जिला उन्हें दूर करने हेतु सतत संघर्ष में संलग्न रहने का प्रयास करना।

68 केन्द्र/राज्य/निकायों आदि से भागीदारी करके, पार्किंग सुरक्षा, ट्रैफिक, शहरो की साफ–सफाई आदि व्यवस्था को बनाये रखने हेतु निरंतर प्रयास करना।

69 मानव को मौलिक एंव समस्त सवैधानिक अधिकारो की सुरक्षा हेतु परिस्थिति के अनुसार उन्हें सुखमय एवं निरस्थाई बनाने के निंतर प्रयास में संलग्न रहना और इस हेतु सरकार के सहयोग एवं उसके विरूद्ध आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों को संचालित करने का प्रयास करना।

70 प्राकृतिक आपदाओं एंव आकस्मिक घटनाओं में सरकार के सहयोग से कार्य करना व आकस्मिक दुर्धटना होने पर समिति के द्वारा प्राथमिक उपचार करना व करवाना।

71 मानव मे वैचारिक क्रान्ति लाने हेतु समिति का समाचार–पत्र, पुस्तक, पत्रिकाओं के द्वारा छपवाकर मानव समाज को जाग्रत करना।

72 संस्था के सदस्यो व आम जनता में बंधुत्व, सहयोग, भाईचारा और राष्ट्र की भावना को बढ़ाना।

73 संस्था द्वारा बच्चों के विकास एवं बच्चो के जीवन स्तर सुधारने हेतु उनको सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा सहायता दिलाने का प्रयास करना ।

74 संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण के प्रति जागृति लाना और परिवार कल्याण के साधन सुलभ कराने का प्रयास करना।

75 संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के अपराध को समाप्त करने के लिए सम्बन्धित विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से मिलकर अपराधों को रोकना।

76 संस्था बाल विकास द्वारा भारतीय सविंधान में प्रदत्त सामाजिक न्याय, शिक्षा और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना तथा शैक्षिक संस्थाये खोलना और प्रबंध व्यवस्था आदि करना ।

77 पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना ।

78 सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के बच्चो तक पहुँचाना तथा सरकारी भागीदारी योजना के अर्न्तगत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

79 भारतीय सवंधान में प्रदत्त समाजिक न्याय, शिक्षा और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना तथा शैक्षिक संस्थायें खोलना और प्रबंध व्यवस्था आदि करना।

80 संस्था द्वारा समाज में बढ़ती कुरीतियों को समाप्त करना । समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे छोटी उम्र में शादी करना, दहेज व्यवस्था के खिलाफ कार्यक्रम को लागू करने में सरकार की सहायता करना तथा

अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढावा देने के लिए सामाजिक संगोष्ठी करना ।

81 पर्यावरण सुधार के लिए आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना इसके लिए जनजाति उत्पन्न करना प्रदूषण में सहयोग करना, वृक्षरोपण कराना तथा पॉलीथीन के प्रयोग को बन्द करने की प्रेरणा देना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। पर्यावरण सुधार हेतु अनुसंधान, समुचित, सेमिनारों, प्रदर्शनियों मेलाओं, नाटकों का आयोजन करना, पर्यावरण से सम्बन्धित साहित्य सामग्रियों का प्रकाशन व मुफ्त वितरण की व्यवस्था करना।